

10²/₂₀

पत्रावली चेशुई। वकील वादी व वादी उपस्थित
नहीं। न्यायालय समय में नई कार्रवाई आवाज लगाये
आने पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं
आये। पत्रावली प्रकम पैरवी, प्रकम राजरी में खारिज
की जाती है। पत्रावली केवल मुजार होकर बाद
तरतीब तकमील हाबिबुल इफ्तार हो।

SM

सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर

